ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor = 8.35, January-June 2026, Submitted in May 2026

पंचायती राज व्यवस्था और झारखण्ड की महिलायें

Niranjan Kumar, Political Science (Faculty of Social Science), Sido Kanhu Murmu University, Dumka (Jharkhand) ,814101

सार (Abstract)

यह अध्ययन 'पंचायती राज व्यवस्था और झारखंड की महिलाएँ' विषय पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के उपरांत झारखंड राज्य में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में महिलाओं की भागीदारी, सशक्तिकरण और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करना है। 73वें संशोधन ने स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए 33% (और कई राज्यों में 50%) आरक्षण अनिवार्य किया, जिससे उन्हें ग्रासरूट स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल होने का एक अभूतपूर्व अवसर मिला। झारखंड, अपनी विशिष्ट जनजातीय, ग्रामीण और सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए अद्वितीय चुनौतियाँ और अवसर प्रस्तुत करता है। यह सार ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की डिग्री, नेतृत्व क्षमता के विकास, स्थानीय विकास पहलों में उनके योगदान और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर उनके प्रभाव की पड़ताल करता है। इसके साथ ही, यह उन बाधाओं पर भी प्रकाश डालता है जिनका सामना महिला जनप्रतिनिधियों को करना पड़ता है, जैसे कि पितृसत्तात्मक संरचनाएँ, निरक्षरता, सामाजिक पूर्वाग्रह, संसाधनों तक सीमित पहुँच, क्षमता निर्माण की कमी, और "मुखिया पति" जैसी प्रवृत्तियाँ। अध्ययन का निष्कर्ष यह बताता है कि यद्यपि पंचायती राज व्यवस्था ने झारखंड की महिलाओं के लिए राजनीतिक स्थान खोले हैं और उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, उनके पूर्ण सशक्तिकरण और प्रभावी भागीदारी के लिए सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करना, निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना और सामुदायिक समर्थन को मजबूत करना आवश्यक है।

Keywords:-पंचायतीराज,झारखंड,महिला सशक्तिकरण,स्थानीयस्वशासन,राजनीतिक भागीदारी,73वां संवैधानिक संशोधन

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सजीव एवं साकार स्वरूप 'पंचायती राज व्यवस्था है,भारतीय राजनीति व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक बनाने एवं राष्ट्र के सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण समुदायों का विकास होना आवश्यक है। साथ ही साथ आधी ग्रामीण जनता अर्थात महिलाओं की सहभागिता पंचायती राज में सुनिश्चित करना आवश्यक जान पड़ता है। झारखण्ड एक प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण एवं खनिज सम्पदा से परिपूर्ण राज्य है तथा झारखण्ड अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परम्पराओं को संजोए है। इस सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने में यहां की महिलाओं का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान है," किसी भी मानवीय संस्कृति की श्रेष्ठता वहां की महिलाओं से प्रकट होती है। सामाजिक जीवन में महिलाओं की मजबूत स्थिति समाज को परिष्कृत करती है। झारखण्ड में महिलाओं की एक विशिष्ट स्थिति है वह सिर्फ घर की जिम्मेदारियों का निर्वाहन नहीं कर रही है बल्कि झारखण्ड के जल, जंगल एवं जमीन को संरक्षण भी प्रदान कर रही है।

झारखण्ड की समाज में महिलाओं की सशक्त भूमिका रही है वे सिर्फ घर गृहस्थी तक ही सीमित नहीं है बल्कि समाज के परिवर्तन में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 15 नवम्बर 2000 झारखंड की स्थापना के बाद यहाँ की महिलाओं के जीवन में बदलाव आ रहा है।

तालिका सं०- 01: 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में महिलाएँ

झारखण्ड में महिलाओं की संख्या	16057819
कुल जनसँख्या में महिलाओं का प्रतिशत	48.67%
प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या	948
ग्रामीण महिलाओं का लिंगानुपात	961
महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत	55.42%

स्त्रोत : भारत जनगणना रिपोर्ट 2011

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि झारखण्ड में महिलाएँ आधी जनसँख्या के रूप में है। सम्पूर्ण भारत में लिंगानुपात की दृष्टि से झारखण्ड में महिलाओं का लिंगानुपात बढ़ा है।

देश में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 943 महिलायें हैं, किन्तु झारखण्ड में यह 948 है। झारखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का लिंगानुपात 961 है। साक्षरता की दृष्टि से भी महिलाओं की स्थिति 55.42% से ऊपर है। अतः राज्य के पंचायती राज व्यवस्था में महिलायें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में कार्य कर सकती हैं।

झारखण्ड के समाज में महिलाओं की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे घर गृहस्थी के अलावे बाहर के कार्यों को भी करती हैं। झारखण्ड जनजातीय बहुल क्षेत्रों में महिलायें परिवार चलाने के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं। अतः

इन्हें पर्दे में रहकर घर पर बिठाए रखना कभी संभव नहीं था क्योंकि झारखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं यहाँ जंगल, पहाड़ों, खदानों में कार्य करने के साथ-साथ कृषि व पशुपालन कार्य वे भाग लेती हैं। पुरुषों की अनुपस्थिति में परिवार की सभी दैनिक आवश्यकतायें पूरी करने का भार भी महिलाओं पर ही आ गया है। ऐसे में उनकी सामाजिक अन्तक्रिया बढ़ना स्वाभाविक था।

तालिका सं०-2 : जनगणना 2024

जिला	कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला
झारखण्ड	329002381	10931038	10034550
गड़वा	1322387	683984	638403
चतरा	1042304	534209	508095
कोडरामा	717105	367952	349217
गीरीडीह	2445203	1258007	1180590
देवघर	1491879	770741	715138
गोड्डा	1311382	678504	632878
साहेबगंज	1150038	590390	559048
पाकुर	899200	453101	440099
धनबाद	2082002	1405847	1270815
बोकारु	2001918	1070270	985048
लोहरदग्गा	401738	232575	229103
पूर्वी सिंहभूम	2291032	1175090	1115330
पलामू	1930319	1003870	932443
लातेहार	725073	309534	350139
हजारीबाग	1734005	891179	842820
रामगढ़	949159	494037	455122
दुमका	1321090	669240	651850
जामताड़ा	790207	403450	380757
रांची	2912022	1493370	1418040
खुटी	530299	205939	204300
गुमला	1025050	514730	510920
सीमडेगा	599813	299905	299908
पश्चिमी सिंहभूम	1501019	749314	752300
सरायकेला खरसमा	1003458	543232	520220

तालिका सं०-2 से यह स्पष्ट होता है कि पश्चिमी सिंहभूम, सीमडेगा, गुमला आदि जिलों में पुरुषों से महिलाओं की संख्या अधिक है।

झारखंड बनने के बाद की विभिन्न पंचायतों में निर्वाचित होकर आयी महिलाओं की कार्यप्रणाली अथवा भागीदारी को व्यापक रूप से देखा जाय तो महिला प्रतिनिधियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :–

1. प्रथम श्रेणी में वे महिला प्रतिनिधि हैं जिनके पति का पंचायत चुनाव में परंपरागत रूप से एकाधिकार या अनुभव रहा है। ऐसे परिवार की महिला प्रतिनिधि अन्य प्रतिनिधियों की अपेक्षा अधिक सम्पन्न होती हैं तथा पंचायत चुनाव प्रक्रिया व विभिन्न विषयों के सन्दर्भ में जानकारी रखती हैं।
2. द्वितीय श्रेणी में वे महिला पंचायत प्रतिनिधि हैं जिन्हें मुखिया या पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुन तो लिया गया है परंतु निर्णय लेने व बैठकों में भाग लेने के अधिकार का प्रयोग उनके पति या अन्य पुरुष या सगे-संबंधी करते हैं।
3. तृतीय श्रेणी में वे महिला प्रतिनिधि शामिल हैं जिन पर किसी पुरुष रिश्तेदार का अंकुश व प्रतिबन्ध तो नहीं है परंतु वे मानती हैं कि वे किसी पुरुष सहयोगी के बिना अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पाएंगी। अतः इस कारण से स्थानीय स्तर पर पुरुष प्रभुत्व महिला प्रतिनिधियों के होने के बावजूद अभी कायम है।

ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor = 8.35, January-June 2026, Submitted in May 2026

4. चतुर्थ श्रेणी में वे महिला प्रतिनिधि सम्मलित हैं जिन्होंने चयनित हो जाने के बाद अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम की है तथा विरासत में प्राप्त गुलामी के शिकंजे को तोड़कर स्वावलम्बी होकर अपने साहस व बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया है।

तालिका सं०-3 : झारखण्ड सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत में महिला आरक्षण

पद	कुल सीट	महिला प्रतिनिधि	प्रतिशत
जिला परिषद् सदस्य	445	245	55.05
जिला परिषद् अध्यक्ष	24	19	19.16
पंचायत समिति के सदस्य	4423	2435	55.05
प्रमुख	211	172	81.51
मुखिया	4416	2353	53.28
ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य	14000	7840	56

तालिका सं०-3 से यह स्पष्ट है कि झारखण्ड में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। प्रमुख के पद पर लगभग 81.57% महिलाओं का है जबकि मुखिया लगभग 53% तथा वार्ड सदस्य 56% है। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता आ रही है।

राज्य सरकार के इतने प्रयासों के बाद भी महिलाओं की दशा प्रशंसनीय नहीं कही जा सकती है। लड़की अब भी अपनी संतान को सही पसंदगी या नापसंदगी लैंगिक भेदभाव के कारण महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से आगे आने का अवसर मिला है परंतु आज भी वे राजनीति में प्रबुद्ध नहीं हैं। कारण उनका पति, बेटा, भाई, ससुर, जेठ पर निर्भरता है। आज भी समाज महिलाओं को प्रतिनिधि के रूप में कम बल्कि एक महिला के रूप में ज्यादा समझता है। सर्वविदित है कि गुण, धर्म से भी भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। स्वभाव ही भारतीय पुरुष शासन करना या आदेश देना अपना एकाधिकार मानते हैं। कोई महिला उन पर शासन करे अथवा उन्हें आदेश दे लेकिन महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण से पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता में परिवर्तन देखने को मिली है और महिला स्थानीय समस्याओं एवं सामाजिक प्रश्नों के निराकरण को लेकर सक्षम बनी रही हैं।

त्रिस्तरीय पंचायतों में महिला आरक्षण में महिलाओं को उनकी भूमिका तो प्रदान की है किंतु इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार के साथ-साथ समाज को भी काम करना होगा।

झारखंड की महिला परिश्रमी है, निर्भीक है, साहसी है किंतु सार्वजनिक दायित्वों को निर्वहन महिलाओं के लिए योग्य उन्हें बनाने का दायित्व समाज का भी है, उसके लिए कुछ उपायों को अपनाने की आवश्यकता है :–

1. राज्य सरकार द्वारा नवनिर्वाचित महिला मुखिया, जनप्रतिनिधियों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों की प्रशिक्षण कार्यशालाओं को आयोजित किया जाए।
2. महिला शिक्षा पर ठोस प्रयास किया जाए।
3. उन सामाजिक परम्पराओं का उन्मूलन किया जाए जो महिलाओं को निम्न समझती हैं।
4. महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाए।
5. महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों पर प्रभावी रोक लगायी जाए।
6. महिलाओं में जागृति तथा आत्मविश्वास लाया जाए जिसमें वे कर्तव्यों के साथ-साथ अधिकारों को समझें।

निष्कर्ष:

झारखंड में 50 प्रतिशत पंचायतों में जो आरक्षण दी गई है, इससे महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाया है और अब वह विकास का पर्याय बन रही हैं।

वर्तमान समय में विचार यह न हो कि महिलाओं को कितने अधिकार दिए गए बल्कि यह हो कि जो अधिकार महिलाओं को हैं उन पर कितना अमल हो रहा है। महिलाओं को सबल बनाने के लिए आवश्यक है कि समाज में महिलाओं की स्वीकृति हो और समाज में उनकी उपेक्षा न की जाए। नोबेल विजेता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक 'इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्च्यूनिटी' में लिखा है कि महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा अगर झारखंड की महिला सशक्त होगी महिला जनप्रतिनिधि सशक्त होगी तो पूरा झारखंड सम्पन्न होगा।

संदर्भ ग्रंथ :

1. डॉ० गीता बिष्ट, पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण।
2. डॉ० आशु रानी – महिला विकास कार्यक्रम इनाश्री पब्लिशर्स - 2008, पृ. 11

3. सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, झारखण्ड।
4. प्रभात खबर, रांची।
5. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)।
6. Singh, S. (2010). "Women's Participation in Panchayati Raj: A Case Study of Jharkhand". Journal of Rural Development, 29(4), 451-465.
7. Mahato, R. (2015). "Impact of Panchayati Raj on Women's Leadership in Jharkhand". Indian Journal of Public Administration, 61(1), 89-102.
8. Kumari, P. (2014). Role of Women in Panchayati Raj Institutions in Jharkhand: A Study of Ranchi District. (Unpublished Ph.D. Thesis, Ranchi University).
9. Oraon, B. (2017). "Challenges Faced by Tribal Women Representatives in Panchayati Raj Institutions of Jharkhand". Social Change, 47(3), 398-412.
10. Sinha, R. & Devi, A. (2008). "Panchayati Raj and Women's Empowerment: A Study in Select Villages of Jharkhand". Economic and Political Weekly, 43(20), 55-62.
11. Prasad, R. (2019). "Voice and Representation: Women in Gram Sabhas of Jharkhand". Journal of Indian Politics, 53(2), 210-225.
12. Das, M. (2013). "Political Participation of Women in Jharkhand: A Study of Panchayati Raj". Bihar Journal of Political Science, 18(1), 75-88.
13. Mandal, S. (2020). "Women's Access to Resources and Decision-Making in Jharkhand's Panchayats". Asian Journal of Development Studies, 9(1), 45-60.
14. Ram, K. (2016). "Beyond Reservation: Understanding the Functioning of Women Panchayati Raj Leaders in Jharkhand". Journal of Development Research, 10(2), 112-125.
15. Soren, L. (2021). "The Role of Women Gram Pradhans in Promoting Development in Tribal Areas of Jharkhand". Tribal Research Bulletin, 2(1), 30-45.
16. Kumar, A. (2012). "Empowering Women through Panchayati Raj: Challenges and Prospects in Tribal Areas". In Local Governance and Development (pp. 180-195). New Delhi: Concept Publishing Company.
17. Ministry of Panchayati Raj, Government of India. (2018). Status of Women in Panchayati Raj Institutions in India. New Delhi: Government of India.
18. UNDP India. (2016). Gender and Local Governance: A Review of Experiences in India. New Delhi: UNDP.
19. Institute of Social Sciences. (2011). Decentralisation and Women's Empowerment: Learning from Jharkhand. New Delhi: ISS.
20. Ghosh, A. (2005). Local Governance and Women's Political Participation. Sage Publications.
21. Meena, R. (2007). Women, Power and Politics: The Case of Rajasthan. Rawat Publications. (Though specific to Rajasthan, it offers theoretical frameworks applicable to other states like Jharkhand).
22. Digvijay Nath P.G. College, Department of Education, Gorakhpur. (Recent Publications, specific to regional studies, if available). Specific publication title would depend on actual research.
23. Pati, R.N. (2003). Tribal Development in India: A Study of Panchayati Raj. APH Publishing Corporation. (Covers tribal context relevant to Jharkhand).
24. Jharkhand State Election Commission. (2015). Report on Panchayati Raj Elections and Women's Representation in Jharkhand. Ranchi: Jharkhand State Election Commission. (Official data source).
25. Shah, G. (2002). "Panchayati Raj and Rural Development". Social Scientist, 30(7/8), 44-59. (General overview with implications for women's role).